21/1/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ ने आज अदालती कार्य का स्थगन कर रखा हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 28/2/25 को पेश हो।

28/03/2025 वकील प्रार्थीगण उप०। अप्रार्थीगण की तामील सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील उक्त अप्रार्थीगण की ओर से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया है। अतः अप्रार्थीगण के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वास्ते बहस प्रा० पत्र मिसल दिनांक 07/04/2025 को पेश हो।

07/04/25

पत्रावली पेश हुई। वकलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर का ... व्यस्त है। पत्रावली पुर्व आदेशानुसार दिनांक 15/4/25 को पेश हों।

15/04/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। वकील प्रार्थीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी भूमि का तहसीलदार के आदेशानुसार सीमाज्ञान दिनांक 30.05.2024 को करवा लिया हैं। अब प्रार्थीगण अपनी भूमि की चिन्हित सीमाओं के अनुसार पत्थरगढी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी मुताबिक अनुतोष स्वीकार फरमाने का निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.09 13:26:19 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एव सीमाज्ञान दिनांकित 30.05.2024 का अवलोकन किया गया एवं वकील प्रार्थीगण की बहस पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थीगण सीमाज्ञान दिनांकित 30.05.2024 के मुताबिक अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाना चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर पत्रावली में आदेश इस आशय का जारी किया जाता हैं कि :–

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम पीथमपुरी पटवार हल्का पीथमपुरी तहसील नीमकाथाना अवस्थित ख.नं. 2006, 2006/5211, 2008, 2008/5213 कुल किता 04 कुल रकबा 3.84 है0 में प्रार्थीगण तथा पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान मुताबिक सीमाज्ञान दिनांकित 30.05.2024 पत्थरगढी की जावे तथा कृषि भूमि का एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 128, 111 मे वर्णित प्रकिया का पालन करते हुए पत्थरगढ़ी करवाकर विवाद का निस्तारण करे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना को निर्णय की पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.05.09 13:26:19 IST
Reason: SelfAttested

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
नीमकाथाना